

FORM NO.III

फर्ड अहकाम  
(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

जुगा देवी

बनाम

सचिव, नगर विकास मास ल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

338/2025

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

01.8.25

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

जुगा देवी

पति श्री

मुकेश कुमार खरीक

निवासी- खरीक मोहल्ला ल तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

रोलोडा

स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर

1372/867

1374/868

1377/870

1375/868

1393/1373

0.09

0.0250

0.18

0.0350

0.1250

कुल कीता 05 कुल रकबा 0.46 है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम

रोलोडा

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर

1372/867

1374/868

1377/870

1393/1373

0.0950

0.0250

0.18

0.0350

0.1250

कुल कीता 05 रकबा 0.46 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500 रूपये अक्षरे प्रायः 519 प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(बीनू देबोस)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)